रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML-2005

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 22 अक्तूबर, 2005/30 आश्विन, 1927

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 अक्तूबर, 2005

संख्या एल0 एल0 आर0-डी0 (6) 35/2005-लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 22-10-2005 को प्रख्यापित

2953-राजपत्र/2005-22-10-2005—1,536 (4093) मूल्य : 1 रुपया ।

हिमाचल प्रदेश वृत्तियों, व्यापारों, अजीविकाओं और नियोजनों पर कर (निरसन) अध्यादेश, 2005 (2005 का अध्यादेश संख्यांक 9) को संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
प्रधान सचिव (विधि) ।

2005 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 9

हिमाचल प्रदेश वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर (निरसन) अध्यादेश, 2005

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित ।

हिमाचल प्रदेश वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 15) का निरसन करने के लिए अध्यादेश ।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर (निरसन) अध्यादेश, 2005 है ।

(2) यह नवम्बर, 2005 के प्रथम दिवस को प्रवृत्त होगा ।

निरसन एवं व्यावृत्तियां।

2005 का 15.

2. (1) हिमाचल प्रदेश वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर अधिनियम, 2005 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) उक्त अधिनियम का निरसन निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा :—

(क) उक्त अधिनियम के अधीन पूर्व प्रवर्तन या सम्यक् रूप से की गई या होने दी गई किसी बात, या

(ख) उक्त अधिनियम के अधीन प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार या बाध्यता या दायित्व, या

(ग) उक्त अधिनियम के अधीन किसी अपराध के सम्बन्ध में उपगत कोई शास्ति समपहरण या दण्ड, या

(घ) यथापूर्वोक्त ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड से सम्बन्धित किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार,

और ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाहियां या उपचार संस्थित, चालू या प्रवर्तनशील रखा जा सकेगा और ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा, मानो उक्त अधिनियम निरसित ही नहीं किया गया है ।

विष्णु सदाशिव कोकजे,
राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश ।

प्रधान सचिव (विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

शिमला :
तारीख.....

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

H. P. Ordinance No. 9 of 2005

THE HIMACHAL PRADESH TAX ON PROFESSION, TRADES, CALLINGS AND EMPLOYEMNTS (REPEAL) ORDINANCE, 2005

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Fifty-sixth Year of the Republic of India.

An Ordinance to repeal the Himachal Pradesh Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2005 (Act No. 15 of 2005).

WHEREAS the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor, Himachal Pradesh is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—

Short title and Commencement.

1. (1) This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Tax on Professions, Trades, Callings and Employments (Repeal) Ordinance, 2005.

(2) It shall come into force on the 1st day of November, 2005.

Repeal and Savings.

15 of 2005.

2. (1) The Himachal Pradesh Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2005 is hereby repealed.

(2) The repeal of the said Act shall not affect—

(*a*) the previous operation of, or anything duly done or suffered under the said Act, or

(*b*) any right, privilege or obligation or liability acquired, accrued or incurred under the said Act, or

(*c*) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence under the said Act, or

(*d*) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishments as aforesaid,

and, any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if the said Act had not been repealed.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित